अध्याय IV

लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली

4.1 प्रस्तावना

एक प्रभावी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य शासन द्वारा एक कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है । वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की समयबद्धत्ता एवं गुणवत्ता, अच्छे प्रशासन के लक्ष्यों में से एक है । यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य शासन को मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में, जिसमें योजना की रणनीति एवं निर्णय लेने की क्षमता सम्मिलित है, सहायक होता है। यह अध्याय पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण में लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य शासन द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन स्थिति को प्रस्तुत करता है।

4.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों की देयता

छत्तीसगढ़ वित्तीय सहिंता के नियम 182 में प्रावधान है कि जहाँ सहायता अनुदान (जीआईए) वार्षिक अथवा अनावर्ती हो एवं केवल एक वर्ष के लिए दिया गया है, वह विभागीय अधिकारी जिसके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान बिल आहरित किया गया है, इसे अगले वर्ष, जिससे अनुदान संबंधित है, के 30 सितम्बर को या उससे पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

मार्च 2023 तक जारी किए गए ₹2,167.29 करोड़ के सहायता अनुदान वाले सभी 275 उपयोगिता प्रमाण पत्र और सितंबर 2023 से मौजूदा प्रावधान के अनुसार मार्च 2024 तक जमा किए गए थे। इसके अलावा, वर्ष 2023–24 के दौरान वितरित सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र इस वर्ष देय नहीं थे। इसलिए, 31 मार्च 2024 तक शेष उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति शून्य है।

4.3 लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक

छत्तीसगढ़ वित्तीय नियमावली के नियम 327 के अंतर्गत आहरण और संवितरण अधिकारियों को सीमित उद्देश्य के लिये वाउचर के बिना संक्षिप्त आकस्मिक देयकों (स.आ.दे.) के द्वारा राशि निकासी का अधिकार है। तत्पश्चात विस्तृत आकस्मिक देयकों (वि.आ.दे.) (अंतिम व्यय के समर्थन में व्हाउचर) को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को, जिस माह में यह राशि निकाली गयी है उसके अगले माह के 25 तारीख तक सौंप देना है।

दिसंबर 2024 तक, छत्तीसगढ़ शासन के तीन विभागों ने 220 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध ₹3.44 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक देयक जमा नहीं किए हैं। वर्ष 2023–24 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों की वर्ष–वार जानकारी **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिकाः 4.1 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक देयकों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष		योग (वृद्धि)		निकासी		अंतः शेष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2021–22 तक	04	0.04	265	2,573.81	246	2,573.51	23	0.34
2	2022–23	23	0.34	531	3,492.42	476	3,490.12	78	2.65
3	2023–24	78	2.65	411	6,298.31	269	6,297.52	220	3.44

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संकलित आकड़ें

दिसंबर 2024 तक प्रस्तुत करने के लिए लंबित ₹3.44 करोड़ के 220 वि.आ.दे. में से, चार वि.आ.दे. (₹0.04 करोड़)[1], 19 वि.आ.दे. (₹0.30 करोड़)[2], 55 वि.आ.दे. (₹2.31 करोड़)[3] और 142 वि.आ.दे. (₹0.79 करोड़)[4] वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23 और 2023–24 क्रमशः से संबंधित हैं।

लंबित 220 वि.आ.दे. में से, ₹0.10 करोड़ का एक वि.आ.दे., ₹2.00 करोड़ का एक वि.आ.दे. और ₹1.34 करोड़ के 218 वि.आ.दे. क्रमशः सामान्य प्रशासन विभाग, मानव शक्ति नियोजन विभाग और राजस्व विभाग से संबंधित हैं जैसा ***परिशिष्ट 4.1*** में दिया गया है।।

निर्धारित समय सीमा के भीतर वि.आ.दे. को प्रस्तुत न करना न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन करता है, बल्कि बर्बादी/दुरुपयोग/कदाचार आदि की संभावना को भी बढ़ाता है और इसलिए, वि.आ.दे. की प्रस्तुति को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित डीडीओ द्वारा कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, वि.आ.दे. के गैर– प्राप्ति की सीमा तक, वित्त लेखों में दिखाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता है।

4.4 लेखाओं की समयबद्धत्ता और गुणवत्ता

राज्य सरकार के खातों को अंततः प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा 34 जिला कोषागारों, 55 वन मंडलों, 63 ग्रामीण यांत्रिकी सेवाओं और 157 अन्य संभागों[5] द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक संकलित खातों से संकलित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, मासिक लेखा प्रस्तुत करने में 19 जिला कोषागारों द्वारा एक से नौ दिन, 29 लोक निर्माण संभागों द्वारा एक से 11 दिन, 22 जल संसाधन संभागों द्वारा एक से 14 दिन, 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभागों द्वारा एक से 12 दिन, 53 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों द्वारा एक से 12 दिन और दो वन मंडलों द्वारा एक से तीन दिन की देरी हुई।

राज्य शासन को अपने स्वयं के बजट को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए बारीकी से निगरानी करने और सभी खाता प्रदान करने वाले अधिकारियों द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को समय पर खातों का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

[1] राजस्व विभाग
[2] सामान्य प्रशासन (₹10 लाख़) और राजस्व विभाग (₹20.15 लाख़)
[3] मानव शक्ति नियोजन (₹2 करोड़) और राजस्व विभाग (₹30.55 लाख़)
[4] राजस्व विभाग
[5] 58 भवन एवं सड़क कार्य संभाग, 62 सिंचाई संभाग (जल संसाधन विभाग), 37 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग.

4.5 उचंत एवं ऋण जमा प्रेषण शीर्षों मे बकाया शेष

शासकीय खातों में उचंत शीर्षों का संचालन उन लेनदेनों को दर्शाने के लिए किया जाता है जिन्हें किसी कारण या किसी अन्य कारण से उनके अंतिम लेखा शीर्षों में दर्ज नहीं किया जा सकता है। जब राशि को उसके अंतिम लेखा शीर्ष पर ले जाया जाता है, तो इन्हें ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से समाशोधित कर दिया जाता है। यदि उचंत शीर्षों के अंतर्गत राशि का समायोजन नहीं किया जाता है, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि जमा हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप शासन की प्राप्तियों और भुगतानों की न्यूनोक्ति होती है।

प्रेषण में उन सभी लेन–देनों को शामिल किया जाता है, जो समायोजित लेखा शीर्ष है, तथा इन शीर्षों के अंतर्गत आने वाले डेबिटों अथवा क्रेडिटों को उसी लेखा वृत्त अथवा अन्य में उसके संबंधित डेबिट अथवा क्रेडिट के द्वारा निष्पादित किया जाता है ।

वित्तीय लेखें, उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शुद्ध शेष को दर्शाते है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों मे बकाया डेबिट एवं बकाया क्रेडिट को अलग–अलग समेकित कर परिणाम निकाला जाता है। उचंत एवं प्रेषण मदों का निष्पादन राज्य कोषालयों/कार्य एवं वन मण्डल इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी पर निर्भर करता है। विगत तीन वर्षों के प्रमुख उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के समग्र आंकडों की स्थिति लघु शीर्ष वार **तालिका 4.2** में दी गयी है।

तालिका 4.2: उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष 8658–उचंत लघु शीर्ष	2021–22		2022–23		2023–24	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101–वेतन एवं लेखा कार्यालय–उचंत	68.32	14.46	67.19	36.13	77.11	20.21
निवल	नामे 53.86		नामे 31.06		नामे 56.90	
102–उचंत लेखा–सिविल	0.64	0.17	0.00	5.93	0.00	7.98
निवल	नामे 0.47		जमा 5.93		जमा 7.98	
109–रिजर्व बैंक उचन्त–मुख्यालय	-1.02	-0.18	-1.13	-0.08	-1.83	-0.16
निवल	जमा 0.84		जमा 1.05		जमा 1.67	
110–रिजर्व बैंक उचन्त–केन्द्रीय लेखा कार्यालय	8.35	0.01	4.44	0.00	2.90	0.00
निवल	नामे 8.34		नामे 4.44		नामे 2.90	
112–स्त्रोत पर कर कटौती	0.00	84.53	0.00	140.14	0.00	94.74
निवल	जमा 84.53		जमा 140.14		जमा 94.74	
113–भविष्य निधि उचंत	20.03	0.00	12.86	0.00	1.88	0.00
निवल	नामे 20.03		नामे 12.86		नामे 1.88	
123–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	0.00	0.31	0.00	0.46	0.00	0.28
निवल	जमा 0.31		जमा 0.46		जमा 0.28	
129–सामग्री क्रय भुगतान उचंत लेखा	0.00	81.67	0.00	81.67	0.00	81.67
निवल	जमा 81.67		जमा 81.67		जमा 81.67	
मुख्य शीर्ष 8782–नगद प्रेषण						
102–लोक निर्माण प्रेषण	86.37	15.88	53.75	14.83	62.76	9.12
निवल	नामे 70.49		नामे 38..92		नामे 53.64	
103–वन प्रेषण	39.86	6.45	44.53	5.24	45.81	5.59
निवल	नामे 33.41		नामे 39.29		नामे 40.22	

स्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे

यदि इन उचंत शीर्षों के तहत राशि का समायोजन नहीं किया जाता है, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि जमा हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों की न्यूनोक्ति होती है। इसके अलावा, इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशियों का गैर–निस्तारण राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो साल दर साल आगे ले जाया जाता है) के तहत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और शेष की सटीकता को प्रभावित करता है।

4.6 व्यक्तिगत जमा खाते

विशिष्ट परिस्थितियों मे, शासन द्वारा नामित प्रशासकों को संचालन हेतु व्यक्तिगत जमा खातों को खोलने के लिये अधिकृत कर सकते है। कोषालय संहिता भाग–एक के अंतर्गत नियम 543 के अनुसार, संचित निधि को ऋणात्मक डेबिट कर व्यक्तिगत जमा खाता खोला जाता है, जिसे वित्तीय वर्ष के अंत में संचित निधि के सम्बंधित सेवा मुख्य शीर्षों को ऋणात्मक डेबिट कर बंद किया जाना चाहिए।

पंचवर्षीय अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी निधियों की स्थिति **तालिका 4.3** प्रदान करता है।

तालिका 4.3: वर्ष 2019–24 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में निधियों का रखा जाना

(₹ करोड़ में)

क्रं सं	वर्ष	1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिग्रहितियॉं/प्राप्तियॉं		वर्ष के दौरान संवृतियॉं/संवितरण		31 मार्च को जमा शेष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2019–20	231	1,891.10	निरंक	272.05	08	577.89	223	1,585.26
2	2020–21	223	1,585.26	03	502.34	18	526.65	208	1,560.95
3	2021–22	208	1,560.95	02	287.56	71	444.13	139	1,404.38
4	2022–23	139	1,404.38	02	250.56	10	290.74	131	1,364.20
5	2023–24	131	1,364.20	02	149.09	03	160.39	130	1,352.90

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संबन्धित वर्षों के संकलित आकड़ें

तालिका 4.3 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 09 व्यक्तिगत जमा खाते खोले गये थे एवं 110 खातों को बंद किया गया। 31 मार्च 2024 तक 130 व्यक्तिगत जमा खाते अस्तित्व में थे और इन खातों में अंतिम शेष ₹1,352.90 करोड़ था।

पिछले तीन वर्षों में, सात व्यक्तिगत जमा खाते 31 मार्च 2024 तक निष्क्रिय थे, जिनमें से दो व्यक्तिगत जमा खाते अगस्त/सितंबर 2024 में बंद कर दिए गए थे।

व्यक्तिगत जमा खातों में अव्ययित शेष राशि को राज्य की समेकित निधि में स्थानांतरित न करने से स्थिर वित्तीय स्थिति, संभावित लाभ से वंचित होने और समय के साथ क्रय शक्ति में कमी, धन की न्यूनतम वृद्धि आदि का जोखिम होता है। इसलिए इन जोखिमों को कम करने के लिए वित्तीय रणनीति का नियमित मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

4.7 लघु शीर्ष –800 में समायोजन

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष–800 का संचालन केवल तभी किया जाना है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। लघु शीर्ष –800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है और यह उन योजनाओं/कार्यक्रमों आदि का प्रकटीकरण नहीं करता है जिनसे यह संबंधित है।

कुल 43 राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख शीर्षों के तहत दर्ज ₹6,099.05 करोड़ (2023–24 के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों ₹1,03,508.20 करोड़ का 5.89 प्रतिशत) की प्राप्तियों को लघु शीर्ष–800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।

इसी प्रकार, 26 राजस्व और पूंजीगत व्यय प्रमुख शीर्षों के तहत दर्ज ₹768.52 करोड़ (2023–24 के दौरान राज्य के कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय ₹1,30,159.89 करोड़ का 0.59 प्रतिशत) का व्यय, लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के तहत वर्गीकृत किया गया था। 2019–24 के दौरान कुल प्राप्तियों और व्यय के प्रतिशत के रूप में प्राप्तियों और व्यय के लिए लघु शीर्ष 800 के संचालन की सीमा **चार्ट 4.1** और **4.2** में दी गई है।

चार्ट 4.1: वर्ष 2019–24 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों का संचालन

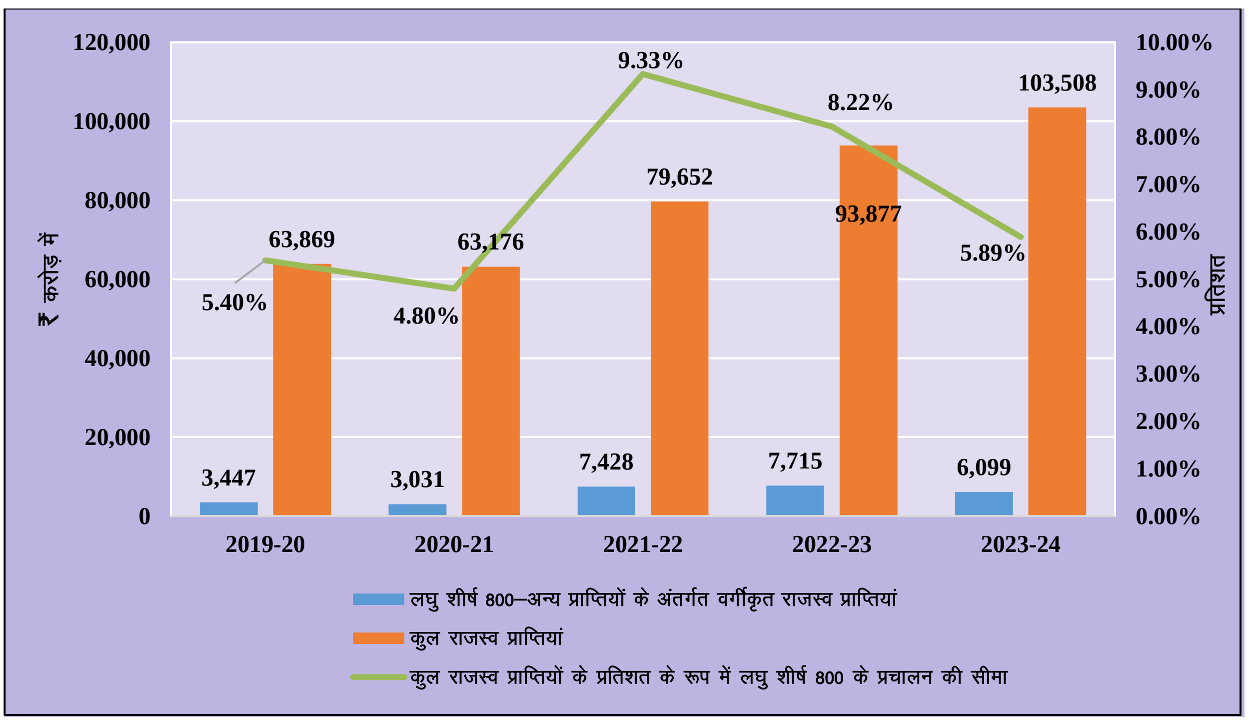

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 4.2: वर्ष 2019–24 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय का संचालन

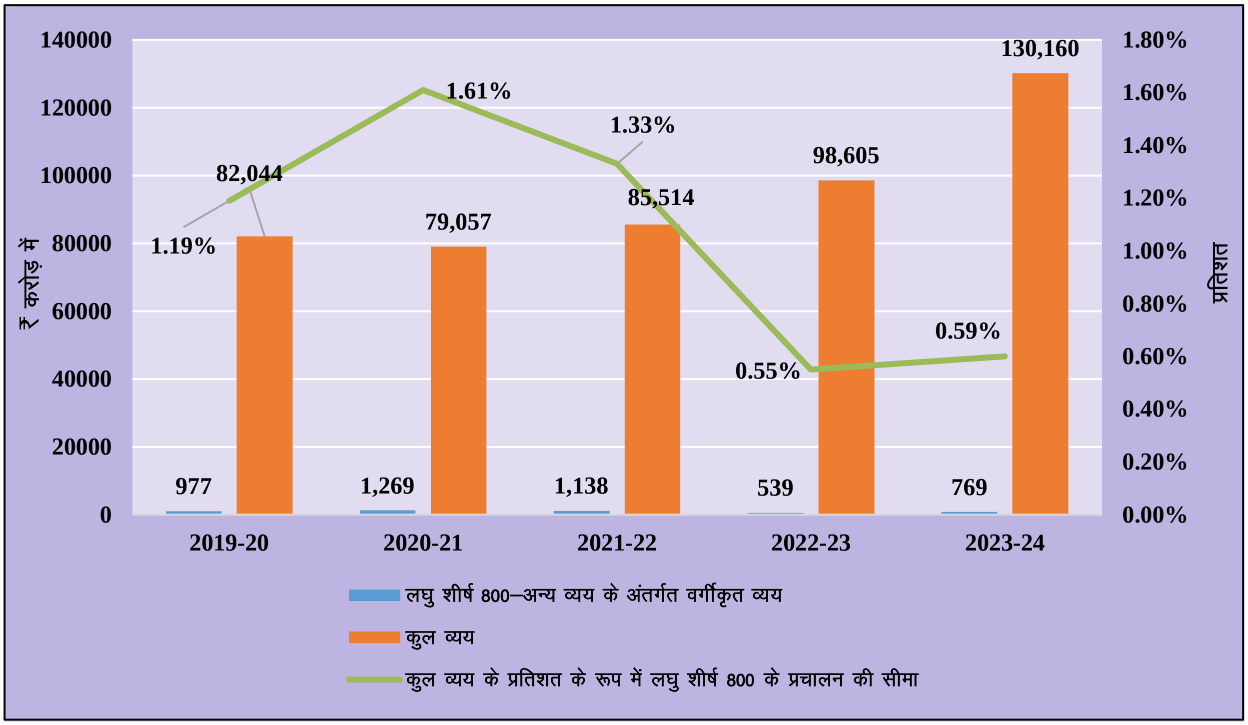

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखें

प्राप्तियों के मामले में 2022–23 में 8.22 प्रतिशत से घटकर 2023–24 के दौरान कुल प्राप्तियों में 5.89 प्रतिशत की कमी आई है। व्यय पक्ष में, यह 2022–23 में 0.55 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 2023–24 के दौरान कुल व्यय का 0.59 प्रतिशत हो गया।

4.7.1 लघु शीर्ष – 800 – अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की बुकिंग

(i) लघु शीर्ष 800 के तहत रॉयल्टी और किराया रसीद की बुकिंग

संघ और राज्यों के प्रमुख और लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार, खानों से प्राप्त रॉयल्टी को प्रमुख शीर्ष 0853 अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग–लघु शीर्ष 102/107– खनिज रियायत शुल्क, किराए और रॉयल्टी के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

मुख्य और लघु शीर्ष 0853–800 के संबंध में चालान की नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि 2023–24 के दौरान मुख्य शीर्ष 0853–800 के तहत ₹1,986.74 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों के विरुद्ध, रॉयल्टी और किराए की प्राप्तियां ₹1.62 करोड़ को लघु शीर्ष 102/107–खनिज रियायत शुल्क के बजाय लघु शीर्ष–800–अन्य प्राप्तियों के तहत दर्ज किया गया था। प्रमुख और लघु खनिजों के लिए किराया और रॉयल्टी, जैसा कि प्रमुख और लघु लेखा शीर्षों की सूची में निर्धारित है।

छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन विभाग के आदेश (अक्टूबर 2012) के साथ पठित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 56(2) में कहा गया है कि कुल रॉयल्टी राजस्व का 33 प्रतिशत पंचायत और

ग्रामीण विकास विभाग को वितरित किया जाएगा और कुल रॉयल्टी राजस्व का शेष 67 प्रतिशत संबंधित व्यक्तिगत पंचायत और जनपद पंचायत को वितरित किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य शीर्ष 0853 (अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग) के तहत लघु शीर्ष 102/107 (प्रमुख/लघु खनिज रियायत शुल्क किराया और रॉयल्टी) के गलत वर्गीकरण के कारण 800 (अन्य प्राप्तियां) के कारण, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत को राजस्व हानि से इंकार नहीं किया जा सकता है।

4.8 विभागीय आंकड़ों का बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा मिलान नहीं किया जाना

म.प्र. बजट नियमावली भाग–1 (छत्तीसगढ़ द्वारा अपनाए गए अनुसार) के नियम 6.7.1 में कहा गया है कि नियंत्रण अधिकारियों (सीओ) के लेखाओं में दर्ज प्राप्तियों और व्यय को वित्तीय वर्ष के दौरान हर महीने महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखाओं के साथ मिलान किया जाएगा। इसका उद्देश्य सीओ को व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने और अपने बजटीय आवंटन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और उनके खातों की सटीकता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है।

जबकि 2023–24 के दौरान 99.38 प्रतिशत प्राप्तियां और 97.31 प्रतिशत संवितरण का समाधान किया गया था, ये आंकड़े प्राप्तियों के लिए 86.14 प्रतिशत और वर्ष 2022–23 के लिए संवितरण के संबंध में 86.70 प्रतिशत थे।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीओ की संख्या और समाधान की सीमा से संबंधित विवरण तालिका 4.4 में दिया गया है।

तालिका 4.4: प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों के मिलान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नियंत्रक अधिकारियों की संख्या	पूर्ण मिलान	अपूर्ण मिलान	मिलान नहीं किया गया	कुल प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान की गयी प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान प्रतिशत
प्राप्तियाँ							
2021-22	40	03	31	06	94,843.22	59,684.84	62.93%
2022-23	54	52	00	02	104,638.72	90,146.07	86.14%
2023-24	54	50	00	04	1,57,588.54	1,56,605.72	99.38%
व्यय							
2021-22	94	42	48	04	94,683.34	80,859.21	85.40%
2022-23	94	87	00	07	108,291.91	93,899.30	86.70%
2023-24	95	88	00	07	1,54,584.81	1,50,428.97	97.31%

स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संकलित आंकडे

आंकड़ों का मिलान एवं सत्यापन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। पिछले वर्षों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान समाधान और सत्यापन में काफी सुधार हुआ है।

4.9 रोकड़ शेष का मिलान

31 मार्च 2024 तक, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखाओं के अनुसार, राज्य शासन के रोकड़ शेष और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए रोकड़ शेष के बीच ₹29.63 करोड़ (शुद्ध जमा) का अंतर था।

इस अंतर का मिलान किया गया और यह अंतर आरबीआई द्वारा अप्रैल 2023 में मार्च 2023 से संबंधित ₹29.61 करोड़ के ई–कुबेर लेनदेन को शामिल करने और मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा केंद्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को ₹0.02 करोड़ की गलत सूचना के कारण था, जो राज्य शासन के नकदी शेष को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। जुलाई 2024 के समापन के बाद उपरोक्त अंतर दूर हो गया है।

4.10 भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन

वर्ष 2002 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा स्थापित सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी) जवाबदेही तंत्र को सुधारने के लिए सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक तैयार कर रहा है। मार्च 2024 के अंत तक, चार भारतीय सरकारी लेखा मानक अधिसूचित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2023–24 के वित्तीय विवरणों में तीन मानकों का विवरण और इनके संबंध में अनुपालन की सीमा **तालिका 4.5** में दी गई है, क्योंकि राज्य शासन द्वारा पूर्व अवधि समायोजन के तहत किसी भी लेन–देन का खुलासा नहीं किया गया है।

तालिका 4.5: भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र. स.	भारत सरकार के लेखांकन मानक (भा.स.ले.मा)	भारत सरकार के लेखांकन मानकों का सार	स्थिति	गैर अनुपालन के प्रभाव
1	**भा.स.ले.मा–1** सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभुति (गारंटी)–प्रकटीकरण आवश्यकता	इस मानक के अनुसार सरकार को वर्ष के अंत में अपने वित्तीय विवरणों में परिवर्धन, विलोपन, लागू, निर्वहन और बकाया के साथ वर्ष के दौरान दी गई गारंटी की अधिकतम राशि का खुलासा करने की आवश्यकता होती है।	जिन 25 संस्थानों के लिए सरकार ने गारंटी दी थी, उनमें से 11 संस्थानों ने आईजीएएस–1 के निर्धारित प्रारूप में जानकारी नहीं दी।	भा.स.ले.मा–1 का अनुपालन न करने के कारण, संस्थानों के लिए मार्च 2024 तक वर्ष के दौरान दी गई गारंटी की राशि के साथ–साथ वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन, निर्वहन, लागू और बकाया राशि का पता नहीं लगाया जा सका।
2	**भा.स.ले.मा–2** सहायता अनुदानों का लेखांकन एवं वर्गीकरण	सहायता अनुदानों को प्रदाता के लेखों में राजस्व व्यय एवं अनुदेयी के लेखों मे राजस्व प्राप्ति के रूप में, उनकी अंतिम उपयोग के बिना ख्याल किये वर्गीकृत किया जाये।	राज्य सरकार ने पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वर्ष 2023–24 के दौरान ₹1,446.59 करोड़ की स.अनु. राशि वितरित की है और राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में हिसाब लगाया है।	भा.स.ले.मा–2 का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को पूंजी के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया और राजस्व घाटे को ₹1,446.59 करोड़ से कम बताया गया।
3	**भा.स.ले.मा–3** सरकार द्वारा दिए गये ऋण एवं अग्रिम	यह मानक शासन के द्वारा उनके वित्तीय विवरण में दिये गये ऋण एवं अग्रिमों से सम्बंधित मान्यता, माप, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग को पूर्ण, परिशुद्ध एवं एकीकृत लेखांकन प्रथा सुनिश्चित करने से सम्बंधित है।	48 बजट नियंत्रण अधिकारियों ने भा.स.ले.मा–3 के निर्धारित प्रारूप में सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है.	भा.स.ले.मा–3 का अनुपालन न करने से लेखांकन प्रथाओं में अपारदर्शिता आती है।

4.11 स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य शासन ने कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए हैं, जिनमें से 29 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपी गई है और एक स्वायत्त निकाय (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) के लेखा परीक्षा का दायित्व अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मार्च 2024 तक स्वायत्त निकायों के लंबित खातों की स्थिति ***परिशिष्ट 4.2*** में विस्तृत है।

4.12 हानि तथा गबन आदि के मामले

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता खंड–I के नियम 22 और 23 में प्रावधान है कि सार्वजनिक निधि की हानि, दुरुपयोग और गबन के प्रत्येक मामले की सूचना महालेखाकार को देनी होगी। इसके अलावा, संहिता के नियम 24 में प्रावधान है कि आग, बाढ़, तूफान, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण इमारतों, सड़कों और पुलों जैसी अचल संपत्ति की किसी भी गंभीर क्षति की सूचना महालेखाकार को दी जानी चाहिए। इसके बाद विभागों द्वारा विस्तृत जांच की जाती है और ऐसे नुकसान के कारणों और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए गए उपायों/कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रतिवेदन दिया जाता है।

31 मार्च 2024 तक, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ₹125.24 करोड़ की राशि के कुल 2,181 मामले लंबित थे, जो निर्णायक जांच और निपटान की प्रतीक्षा कर रहे थे। लंबित मामलों का विभागवार एवं श्रेणीवार विवरण ***परिशिष्ट 4.3*** में दिया गया है। मामलों का वर्षवार विश्लेषण ***परिशिष्ट 4.4*** में दर्शाया गया है। लंबित मामलों की आयु–प्रोफ़ाइल और प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या। चोरी और हानि को **तालिका 4.6** में संक्षेपित किया गया है ।

तालिका 4.6: हानियों एवं गबनों आदि की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरणों की आयु रूपरेखा		
वर्षों में	**प्रकरणों की संख्या**	**राशि**
0 – 5	216	2.42
6 – 10	242	39.23
11 – 15	497	64.04
16 – 20	322	8.56
21 – 25	214	4.61
25 से अधिक	690	6.38
योग	**2,181**	**125.24**

लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
प्रकरणों की प्रकृति	**प्रकरणों की संख्या**	**राशि**
चोरी	119	0.53
सम्पत्ति/सामग्रीयों की हानि	1,998	119.03
गबन	64	5.68
लंबित प्रकरणों का योग	**2,181**	**125.24**

स्रोतः राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण

2,181 मामलों में से, वन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के क्रमशः 562 और 38 मामले थे जो 25 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे। 2,181 मामलों में से 330 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

4.13 ऑफ बजट उधार

राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम/निगम/अन्य निकाय सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ऋण ले सकते हैं। राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रमों या अन्य संस्थाओं के ऋण/देनदारियों का भी अधिग्रहण कर सकती है। ऐसे ऋणों का पुनर्भुगतान अपने बजटीय संसाधनों से राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है। इस तरह के उधार से राज्य शासन के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करेंगे। बजट में खुलासा किए बिना ऐसी देनदारियां बनाना पारदर्शिता और अंतर–पीढ़ीगत समानता दोनों पर सवाल उठाता है। इस तरह के ऑफ–बजट उधार को बजट दस्तावेजों में प्रकटीकरण विवरण में नहीं लिया जाता है, न ही इन्हें विधायी अनुमोदन प्राप्त होता है। ऑफ–बजट उधार के ऐसे उदाहरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

क) 2017–18 और 2018–19 में, छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी अधिकारियों के लिए 6,424 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए केनरा बैंक से और 728 फ्लैट खरीदने के लिए इलाहाबाद बैंक (इंडियन बैंक के साथ विलय) से लिए क्रमशः ₹800 करोड़ और ₹195.00 करोड़ का ऋण लेने के लिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) को गारंटी जारी की। कुल गारंटी राशि के मुकाबले, सीएचबी ने 31 मार्च 2024 तक क्रमशः ₹800 करोड़ और ₹195 करोड़ का ऋण लिया। राज्य सरकार ने उपरोक्त ऋणों पर बजट के माध्यम से ₹228.54 करोड़ का मूलधन और ₹382.37 करोड़ का ब्याज चुकाया है।

ख) इसी प्रकार, शासन ने जून/जुलाई 2017 में पुलिस अधिकारियों के लिए 10,000 आवासीय घरों के निर्माण के लिए दो वित्तीय संस्थानों यानी इलाहाबाद बैंक (इंडियन बैंक के साथ विलय) (₹400 करोड़) और केनरा बैंक (₹400 करोड़) से ₹800 करोड़ का ऋण लेने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीएचसीएल) को गारंटी भी जारी की (2027 तक वैध)। सीपीएचसीएल ने अधिकतम गारंटी राशि ₹800 करोड़ के मुकाबले मार्च 2024 तक कुल ₹644.54 करोड़ का ऋण लिया है। राज्य शासन ने उपरोक्त ऋणों पर बजट के माध्यम से ₹69.37 करोड़ का मूलधन और ₹286.04 करोड़ का ब्याज चुकाया है।

ग) इसके अलावा, शासन ने फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई–शहरी) में राज्य के हिस्से के भुगतान के लिए वित्तीय संस्थानों से ₹3,357 करोड़ का ऋण लेने के लिए राज्य शहरी विकास एजेंसी (एसयूडीए) को गारंटी जारी की (दिसंबर 2024 तक वैध)। जिसमें से एसयूडीए ने 31 मार्च 2024 तक ₹1,618 करोड़ का ऋण लिया। राज्य शासन ने बजट से उपरोक्त ऋण पर ₹130.32 करोड़ का मूलधन और ₹349.65 करोड़ का ब्याज चुकाया है।

घ) छत्तीसगढ़ शासन ने दिसंबर 2020 में छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीजीआरआईडीसीएल) को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ₹5,225 करोड़ का ऋण लेने के लिए गारंटी जारी की (12 सड़कों के निर्माण के लिए ₹1,225 करोड़ और 741 सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए ₹4,000 करोड़)। जिसमें से, सीजीआरआईडीसीएल ने 2023–24 तक ₹2,377.05 करोड़ का ऋण लिया है। राज्य शासन ने उपरोक्त ऋणों पर मूलधन ₹55 करोड़ और ब्याज ₹233.67 करोड़ बजट के माध्यम से चुका दिया है।

ङ) छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण को लागू करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम (2017–18 से

2019–20) को ₹3,427.28 करोड़ (2034–35 तक वैध) की गारंटी जारी की। उपरोक्त गारंटी के विरुद्ध निगम ने कुल ₹1,792.44 करोड का ऋण लिया है (केनरा बैंक से ₹1,000 करोड़ और नाबार्ड से ₹792.44 करोड़)। राज्य शासन ने उपरोक्त ऋणों पर बजट के माध्यम से 31 मार्च 2024 तक ₹593.50 करोड़ का मूलधन और ₹249.22 करोड़ का ब्याज चुकाया है।

च) छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ पावर जेनरेशन कंपनी (सीएसपीजीसीएल) (₹1,000 करोड़) और छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी (सीएसपीटीसीएल) की देनदारियों (उस पर ब्याज सहित मूलधन) चुकाने का आश्वासन दिया है। (₹500 करोड़) वार्षिक बजट में प्रावधान करके आगामी वर्षों में 31 मार्च 2022 तक। तदनुसार, राज्य शासन ने बजट के माध्यम से 31 मार्च 2024 तक सीएसपीजीसीएल का मूलधन ₹479.65 करोड़ और ब्याज ₹265.06 करोड़ और सीएसपीटीसीएल का ₹77.70 करोड़ मूलधन और ₹38.85 करोड़ का ब्याज चुका दिया है।

उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि राज्य शासन के व्यय के वित्तपोषण के लिए बजट के बाहर अन्य संस्थाओं के माध्यम से उधार ली गई धनराशि के उपयोग से न केवल राजस्व/पूंजीगत व्यय और राजस्व/राजकोषीय घाटे को कम दिखाया गया, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ कि उधार राज्य सरकार के खातों में ऋण की गणना से बाहर रहे। वर्तमान व्यय का बोझ आगामी वर्षों में बजट/बजटीय समर्थन के माध्यम से ऋण की अदायगी की सीमा तक भावी पीढ़ियों पर स्थानांतरित हो जाएगा। राज्य शासन पर 31 मार्च 2024 तक बकाया ₹1,34,179.36 करोड़ की कुल बजटीय देनदारियों के अलावा ₹7,292.94 करोड़ (कुल बजटीय देनदारियों का 5.43 प्रतिशत) की शुद्ध बजट देनदारी है। इस प्रकार, राज्य की कुल देनदारी ₹1,41,472.30 करोड़ थी। हालाँकि, राज्य शासन ने 2023–24 के बजट दस्तावेजों (एफआरबीएम प्रकटीकरण) में मार्च 2023 तक ₹4,121.33 करोड़ की ऑफ–बजट देनदारियों का खुलासा किया। हालाँकि, इन्होने वर्ष 2024–25 के लिए अपने बजट दस्तावेज़ में मार्च 2024 तक अपनी ऑफ बजट देनदारियों का खुलासा नहीं किया है।

4.14 सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियाँ

वर्ष 2023–24 के दौरान, लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा ₹12,411.41 करोड़ की राशि सीधे छत्तीसगढ़ में कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई थी। 2019–20 से 2023–24 तक ऐसी राशियों के हस्तांतरण का प्रवृत्ति **चार्ट 4.3** में दिखाया गया है।

चार्ट 4.3: 2019–20 से 2023–24 तक सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान के हस्तांतरण के प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

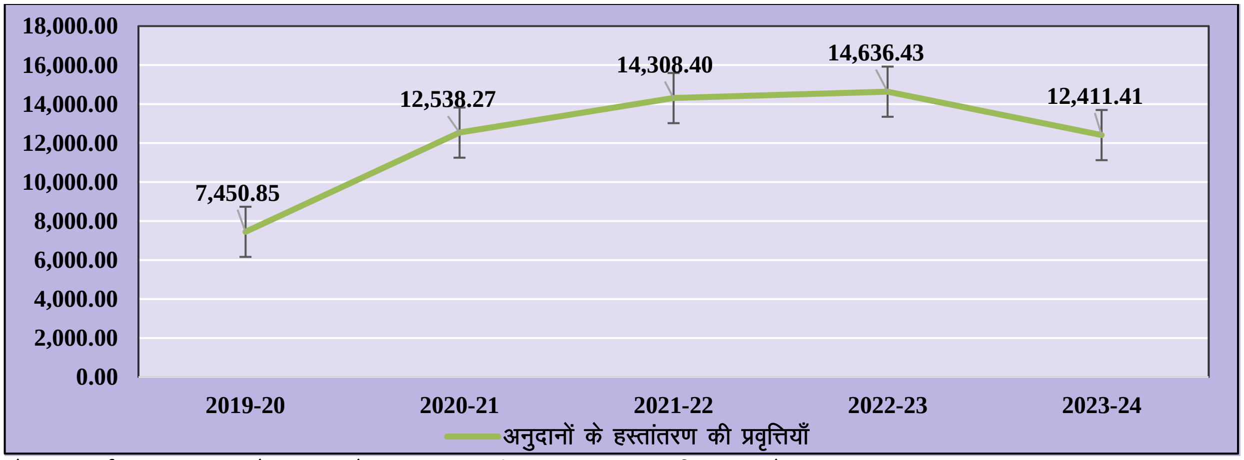

स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संकलित आंकडे

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि के सीधे हस्तांतरण में ₹2,225.02 करोड़ (15.20 प्रतिशत) की कमी आई है।

4.15 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2008–09 से राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की जा रही है। हालाँकि, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अभी तक इन प्रतिवेदनों को चर्चा (दिसंबर 2024) के लिए नहीं लिया है।

4.16 निष्कर्ष

दिसंबर 2024 तक, ₹3.44 करोड़ के 220 विस्तृत आकस्मिक देयक जमा करने के लिए लंबित थे। विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए निकाली गई धनराशि के लिए विभागों द्वारा विस्तृत आकस्मिक देयक जमा न करना और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा खाते जमा न करना निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था। यह राज्य शासन के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और अपर्याप्त निगरानी तंत्र की ओर इशारा करता है और बर्बादी/दुर्विनियोजन/दुर्व्यवहार आदि के जोखिम/संभावना को बढ़ाता है।

31 मार्च 2024 तक, 130 व्यक्तिगत जमा खाते ₹1,352.90 करोड़ के अंतिम शेष के साथ अस्तित्व में थे। व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी अव्ययित शेष राशि को राज्य की समेकित निधि में स्थानांतरित न करने से लोक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुरुपयोग का जोखिम होता है।

मार्च 2024 तक बकाया ₹1,34,179.36 करोड़ की कुल बजटीय देनदारियों के अलावा राज्य शासन पर ₹7,292.94 करोड़ की शुद्ध ऑफ–बजट देनदारियां हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने अपने बजट में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा प्राप्त ऋणों के संबंध में अपनी संपूर्ण देनदारियों का खुलासा नहीं किया है, जिसके लिए राज्य शासन ने मूलधन और ब्याज पुर्नभुगतान की गारंटी दी थी।

4.17 अनुशंसाएं

i. वित्त विभाग को पुराने लंबित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के निपटान के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, यह ध्यान में रखते हुए कि 2020–21 से विस्तृत आकस्मिक देयक जमा करना अभी भी लंबित है। साथ ही, डीडीओ को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विस्तृत आकस्मिक देयक निर्धारित समय के भीतर जमा किए जाएं, ताकि असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के संचय से बचा जा सके।

ii. वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत जमा (पीडी) खातों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा मदों से डेबिट करके पीडी खातों में हस्तांतरित लेकिन अनावश्यक रूप से इन पीडी खातों में पड़ी राशि को मौजूदा नियमों के अनुसार तुरंत समेकित निधि में भेज दिया जाए।

iii. राज्य शासन को अपना बजट पेश करते समय ऑफ–बजट उधार सहित अपनी सभी देनदारियों का पारदर्शी तरीके से खुलासा करना चाहिए, ताकि उसकी वित्तीय स्थिति का उचित मूल्यांकन हो सके।

(मो. फ़ैज़ान नैय्यर)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

रायपुर
दिनांकः 11 अप्रैल 2025

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 16 अप्रैल 2025